

## NHRC seeks fresh report on aid to rape victim

**PNS ■ BHUBANESWAR**

**T**he National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Jagatsinghpur district Collector and Superintendent of Police to submit a fresh report on payment of compensation to a minor girl rape victim.

The NHRC passed the order taking cognisance of a rejoinder filed by human rights activist Radhakanta Tripathy and the responses from the authorities.

Tripathy earlier invited the attention of the commission to an incident wherein a minor girl was allegedly raped by her tuition teacher's father, on September 23, 2023, in a village under the Kujang police station of Jagatsinghpur district..

It is stated that victim and others were taking tuition at a woman teacher's house. In the absence of the teacher, her father used to teach the students. However, taking advantage of his daughter's absence, the accused allegedly raped the Class VI student at regular intervals along with his accomplice.

Later, the district Collector and SP submitted their reports and said the charge-sheet has been already filed against the accused Subash Muduli. But the complainant alleged that the authorities have not paid any compensation to the victim or taken any steps for rehabilitation of the victim.

Following this, the NHRC sought a fresh report from the district administration on the payment of compensation to the victim.



# Workers At E-Commerce Giant Amazon's Warehouses In Delhi-NCR Say Even Toilet Breaks Are Frowned Upon By Managers And The Slightest Pause In Work Can Invite Arbitrary Blacklisting

## HANDLED WITHOUT CARE

Ankita Anand@timesgroup.com

At precisely 9.20pm, 10 minutes before the day shift begins at Amazon's cavernous warehouses, the assembled workforce is put through a drill. "One", says the supervisor: "100", the group choruses in response, arms stretched. "Two", says the supervisor: "100", the group responds, arms straight a different pose. "Three", comes the next cue. The arms move again. The chorus is unchanged: "100". "Four": "100", "Five": "100", "Six": "100..." This peculiar count goes on for five minutes.

The next five minutes are for briefings on the day's targets before the 10-hour shift begins at the depots, which Sheetal, a worker, says "feels like being trapped in a jail", each minute akin to being put through a boot camp.

The PT session is more a workout for the mind than muscle, reinforcing and hardening the message that all workers have to meet 100% of their targets, says Ritesh, who works in Del-5 (Bilaspur). "It's meant to get us into the zone."

It's this relentless pursuit of "100" which, workers say, has spawned a punishing work culture in Amazon's Indian warehouses, echoing complaints in other countries that have raised questions about the backend practices of the "customer-obsessed" global e-tailing giant.

Sheetal, who works in the stowing section of Del-4 (Manesar), told TOI she has to meet "brutal hourly targets" that involve packing 150 items per hour—a ceaseless walking, bending, squatting, pivoting routine that she and fellow workers are expected to perform with robotic precision. "Once you're in, you're on the move all the time. No breaks and no sitting down, even if you need to put stuff into the lowest rack. Bend and stretch, but don't sit. Sitting counts as idle time. Even toilet breaks are idle time. We get pulled up for it. Cameras cover all sections of the warehouse, so supervisors have eyes on us all the time. No Sheetal says. "Workers get text messages if they are seen sitting down. Supervisors send screenshots encircling anyone who is inactive on our WhatsApp groups," she adds.

### 'Prime' Time Hard, Mistakes Costly

The tolerance threshold for "time-wasting", according to workers, is even lower in the customer promise department that caters to Amazon Prime. The cart of a Prime customer must be filled within the stipulated time. "In case we get injured or feel unwell, we're simply told to continue. If we can't, we must face consequences. I had to rush to the washroom once, but when I returned after five minutes, the work had been given to someone else and I was threatened with blacklisting," says Gita, who works in Del-4.

Sheetal says she was threatened with termination for a mistake and eventually had to give an undertaking to save the job. "I had stowed nine 'high-risk-value items' into a stack meant for 'small items'. The system is automated, but the scanners missed it, too. I was called by the SLP (security loss prevention) team in the only room that has no CCTV cameras. They asked me to give it in writing that it was my mistake, else they would charge me with theft," she says.

### Monthly Take-Home Of Rs 10K

Del-4 and 5, both located in Gurgaon, are two of Amazon's largest warehouses in NCR, with around 2,000 workers each. The contracted ones have a monthly CTC of Rs 13,500 (Rs 10,000 takes home) and part-time ones like Sheetal, who book slots through an app, are paid Rs 64 per shift. The workers aren't Amazon employees but have contracts with firms like Om Unique, Om Enterprises, Pranav, Simran Enterprises, and Wearing Enterprise.

Workers are entitled to a pickup-and-drop service and get two half-hour breaks during the shift—one for lunch from 12.35pm to 1.05pm, and the other from 4pm to 4.30pm. There are two categories of workers—blue badges (contract employees) and green badges (regular employees). Contract workers say there's a class divide at work with the 'blues' getting the rough end of the stick. Frustration building up over time,



**RAW DEAL OF THE DAY:** (Top) Amazon's Del-5 warehouse in Gurgaon. Photos shared by workers show harsh conditions they have to work in, which can entail resting on the toilet floor to avoid detection by floor cameras. Catching one's breath is a risk a message from managers warning them about their targets

catalysed by massive heat stress during one of the harshest summers in north India, prompted the warehouse workers to issue a media statement on June 4 and send a memorandum to govt and Amazon on June 7 about work conditions that they called intolerable. An official of Om Enterprises did not offer any comment. The other firms could not be reached.

### Note To Govt - 'It's Unbearable'

"Pojoa, an Amazon warehouse worker and member of Amazon India Workers Association (AIWA), has informed that male and female workers are forced to work under unbearable temperatures in warehouses," said the June 7 memo, which coincided with photos surfacing of workers sitting on the restroom floor to catch a breath, evading CCTV surveillance. If caught, there's a penalty by way of pay deduction.

Asking for a heat surcharge payable to workers and better work conditions like shaded areas, drinking water and pink toilet access audits for women, the memo said that on May 28, Pojoa recorded a temperature of 31 degrees Celsius in the dock area of her warehouse, 32 degrees in the canteen, and 34.2 degrees in the stow section where she works. "That's why workers, particularly women, are forced to take rest in washrooms amid unhygienic conditions," it said.

Akhil (28), who works in the docking area of Del-4—its where incoming cargo is offloaded and is the most physically demanding section—said it became insufferable during the heatwave, with no fan or cooler around. But there was no let-up on deliverables.

"Large metal containers, which can be as heavy as 100kg, are brought here. In summer, these are red hot to touch. Our job is to put them on the conveyor belt that takes them into the warehouse. The belt never stops," said Akhil, who has been working here since 2020 after clearing his Class XII boards, hoping to save to study further and improve his job prospects.

Delhi-NCR saw 38 straight days of 40 degree-plus temperatures from May 13.

### An Oath - No Toilet Breaks

The June 4 AIWA statement revealed that a supervisor in Del-4 made workers take an oath on May 16 to meet targets without taking toilet or water breaks. Workers TOI spoke with said this happened around 4.30pm. The day was hectic as

orders kept pouring in and supervisors realised by afternoon that they were running behind the target. So, one of them asked the workers to extend their hands in the air. "Say after me 'we will achieve the target, we won't go to the washroom, we will not drink water'," the supervisor allegedly told the workers. National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of the matter and sent a notice to Amazon.

Just like in fitness gyms, the warehouses play groovy Haryana, Punjabi, Hindi and Bhojpuri numbers—most of the workers are from UP, Haryana, Punjab and Bihar—to keep the adrenaline high. "There's another song that's played regularly to motivate us—Amazon ke cheethi (Cheetha of Amazon). They treat us nothing like that," said Pratap (23), who works in the inbound section of Del-4.

### Blocked Cards A Common Complaint

Pratap had his access card blocked in 2020 during the pandemic, when he got high fever during his shift and had to be taken to hospital. "When I went back to the warehouse, my card was declined, and I was told it was cancelled because of the 'trick I pulled'. Two months later, I got a call asking me to come back. I rejoined in Jan 2021," he said. Pratap's case isn't a one-off. Since 2022, 16 complaints have been sent to Gurgaon's assistant labour commissioner (ALC) by Amazon warehouse workers. All pertain to employees being blocked or blacklisted arbitrarily. None of these cases has been decided yet.

### Trade Practices Loaded Against Workers

Niyogi, who has worked with trade unions for three decades, said warehouse workers are caught in a maze of trade practices that are loaded against them. "For one, the contract period never extends beyond 11 months, so a com-

pany can circumvent laws for regular employees. Secondly, warehouses have been set up in Haryana to access cheap labour.

"The minimum wage in Delhi is nearly double that in Haryana and the lack of unions in Haryana allows companies to escape the consequences of non-compliance with laws," he said.

Despite this, manpower is easily available because of the sheer number of youths looking for jobs. "The Amazon model, which is unique globally and is being increasingly adopted, exploits the youths by hiring them for labour-intensive jobs. There is no skill development happening," Niyogi said, adding there was little automation in the warehouses.

"The use of AI is limited to tracking the speed of workers and ensuring they meet targets. For instance, if a conveyor belt is moving fast, workers are forced to match the speed, without which they could end up getting injured," Niyogi said.

Injuries aren't uncommon, said Akhil, especially in the docking section. In May 2023, Akhil's finger was injured as it got stuck in the conveyor belt. He said he got an ESIC card—it gives access to free treatment at the ESIC hospital—after much pleading with the supervisor "and on the condition that I would not get paid for the day".

### Why Protests Haven't Worked

Since 2022, Amazon warehouse workers have been organising protests against working conditions every 'Black Friday'—the busiest business day they call it 'Make Amazon Pay' and apply en masse for leave. But since leave applications are cancelled, only 100-odd workers gather, braving the risk of blacklisting.

AIWA said it is fighting for an eight-hour workday, minimum salary of Rs 25,000, humane work targets, adherence to labour laws, proper seating arrangements, festival bonuses and compliance with International Labour Organisation norms. Dharmender Kumar, convener of AIWA, said, "No action has been taken on these complaints as workers here cannot unionise like they can in foreign countries. Amazon is still not communicating with us and has only issued statements to the media. But they've said they are looking into the allegations."

### What Amazon Has Said

In a media statement put out after workers' complaints over heat stress, Amazon said: "Safety and wellbeing of our associates is of utmost priority for us... All Amazon sites have been equipped with heat index devices that constantly monitor changes in temperature, and our teams implement appropriate corrective measures to provide comfortable working conditions. These include temporarily suspending work in areas reporting a high heat index. Our buildings are temperature controlled... have proper ventilation, offer adequate provision of water and ORS, and follow job rotation as well as work-rest cycles in case of high heat index."

"We are also sensitive to the needs of associates who may have prior health conditions, and our sites are equipped to provide additional emergency medical assistance to those who may need them, such as in cases of a heat stroke."

In a letter to govt, reported by Economic Times on June 26, Amazon India referred to the oath incident as "an unfortunate and isolated" one. "Prompt disciplinary action has been taken against this employee," it said, adding that the employee had thought of it as a motivational exercise. "We take the lessons learnt from this disappointing incident seriously and will double down on our efforts to re-train our managers on workplace, health, safety and wellbeing," it said.





### No Action On Complaints: Union

In response, AIWA released another statement on June 28, pointing out that none of the concerns it had raised—prolonged work hours, lack of adequate restrooms and seating, setting of unachievable targets, blocking of cards and blacklisting, lack of annual wage revisions and a forum for grievance redress—had been addressed by the warehouse management.

(Names of workers changed on request)



### If you think jobs in warehouses are bad, here's a reality check

66% of Indians holding regular jobs earn below ₹10,000 a month, according to ILO's India Employment Report 2024



### THE WAREHOUSE ECONOMY HAS BOOMED

along the Delhi-Jaipur highway in Gurgaon and is now one of India's largest because of the growth of the digital economy, logistics services, aggregation as a business model, and smooth access to both north and west via expressways. Other than Amazon, scores of companies run warehouses in which thousands of people are employed.



Warehouse data source: Anasack Capital

# मनु के शिकंजे में मानवाधिकार !

विद्यते एह दशक से जातिगत पदानुक्रम को वैध बनाने और जातिगत उपपीडन को पवित्र मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन शायद इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि किसी अल्पसुख खुरदरी मानवाधिकार आयोग भी इसे मॉडर्नाइज करने के काम में जुट जाएगा !

दरअसल भारत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था।

अनेक कार्यक्रम हो रहे थे। और उन्हीं दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इममें अपनी हाजिरी दर्ज की। शायद उसे सबसे अछड़ा तरीका यही लग कि वह भारतीय परिस्थितियों और उसके प्रेरणा स्रोतों के बारे में अपना नजरिया साझा करे।

उसने एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें मानवाधिकारों के प्रति उसके नजरिए की झलक पेश की गई थी:

प्राचीन भारतीय सभ्यत्व, जिसमें वेद, उपनिषद और विभिन्न धर्म शास्त्र (नैतिकता और कर्तव्यों पर ग्रंथ) जैसे ग्रंथ शामिल हैं, ने ऐसे संदर्भ और शिक्षाएं हैं जो मानव अधिकारों के सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। मनुस्मृति, अपने समय के सामाजिक मानदंडों को प्रतिबिंबित करते हुए, न्याय के सिद्धांतों को भी रेखांकित करती है, जिसमें अत्याचार के अनुपात में दंड भी शामिल है।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को शायद ही वह याद हो (या उन्होंने जानबूझकर इसे भुला दिया ?) कि महान सामाजिक क्रांतिकारी भीमराव अंबेडकर, जो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ने इस धार्मिक ग्रंथ के बारे में क्या कहा था, कैसे उन्होंने एक ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था -- जिसे महाद्व सत्याग्रह कहा जाता है (1927) -- जहां उन्होंने हजारों लोगों को इसके मानव-विरोधी सामग्री के लिए मनुस्मृति को जलाने के लिए प्रेरित किया था ... (25 दिसंबर, 1927)। वहां अश्वोजित प्रस्तारों में रेखांकित किया गया कि कैसे मनुस्मृति ने 'बुद्ध जाति को कमजोर किया, उनकी प्रगति को बाधित किया और उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी को स्थायी बना दिया।'

'इस सम्मेलन का यह एह मत है कि मनुस्मृति, के शोके (वचनों) को ध्यान में रखते हुए, जो शुद्ध जाति को कमजोर करते हैं, उनके प्रगति को रोकते हैं, तथा उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी को स्थायी बनाते हैं, तथा उनकी गुलामी हिंदुओं के जन्मदिष्ट अधिकारों के पोषणपर के उपरोक्त भाग में बताए गए सिद्धांतों से करते हैं, यह धार्मिक या पवित्र पुस्तक बनने के योग्य नहीं है। और इस मत को अभिव्यक्त करने के लिए वह सम्मेलन ऐसे धार्मिक ग्रंथ का वह संस्कार कर रहा है जो लोगों को बांटने वाला और मानवता का विनाश करने वाला रहा है...।

मनुस्मृति को वास्तविक सामग्री को अनजाने में या जानबूझकर अक्षय करने का यह पहला (या अंतिम) मामला नहीं था, जिसे डॉ अंबेडकर के नेतृत्व में आयोजित

## समय-संदर्भ

सुभाष गाताडे



सम्मेलन द्वारा 'लोगों को विभाजित करने वाला और मानवता को नष्ट करने वाला' माना गया था।

वह कहा-मलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के शासन का दशक (2014-2024) एक महत्वपूर्ण अवधि रही है, जिसमें मनुस्मृति को सामान्य बनाने या उसे पवित्र बनाने के ऐसे प्रयास बेरोकटोक जारी रहे हैं। इस तरह के हस्तक्षेप न्यायिक स्तर या संसदीय स्तर पर, साथ ही संवैधानिक समारोहों या वहां तक कि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों से लेकर छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों के स्तर पर भी दिखाई देते हैं।

महाज एक साल पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर पर तब सुनिश्चित बंदोबंती की, जब उसने एक यौन अत्याचार की शिकायत न्यायालय लड़कों के पिता द्वारा दखल गंधाचर की याचिका पर विचार-विमर्श करते हुए मनुस्मृति में 17 साल की उम्र में लड़कियों को शादी को बाध कर दी थी। उक्त न्यायाधीश ने तुरंत उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि उस बेचारे पिता को सलाह दी थी कि वह अपनी स्नेह को अटकेट करने के लिए मनुस्मृति को फिर से पढ़ें। न्यायमूर्ति समीर उ देवे ने कहा था:

'पुराने समय में लड़कियों की 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाना और 17 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा होना सामान्य बात थी...अब इसे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़ें।'

यह फिर, दिल्ली उच्च न्यायालय को एक अन्य न्यायाधीश ने 'महिलाओं को सम्मान देने' के लिए मनुस्मृति को खुले आम प्रशंसा की थी, (ये एक कार्यक्रम में बोले रही थीं, जहां उन्हीं उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आमंत्रित किया गया था)। उन्के शब्द थे:

'मुझे सच में लगता है कि भारत में महिलाओं का बहुत बड़ा भला हुआ है और इसका कारण यह है कि हमारे शास्त्रों में हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थान दिया गया है और जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी पूजा-पाठ क्यों न करें, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पुराने और वैदिक शास्त्र अच्छे तरह जानते थे कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है।'

मनुस्मृति की हिमागत करने मानवाधिकार आयोग के दस्तावेज में दर्ज 'ज्ञान के मोती' हों या इन न्यायाधीशों की टिप्पणियां हों, मनुस्मृति को दो ज राती नई वैधता अब एक

तथ्य बन गई है।

दरअसल, एक शोषकर्ता लेखक द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि अज्ञ भारतीय न्यायाधिकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा मनुस्मृति को स्वीकार करने और मान्यता देने का चलन बढ़ रहा है। वह धीरे-धीरे फैल रहा है और 'विषाक्त हिंदुत्व के उदय' /वही / के साथ इसने जबरदस्त गति पकड़ ली है।

'1950 से 2019 के बीच, सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों द्वारा कुल 38 बार मनुस्मृति का इन्तेमाल किया गया है, उनमें से 26 (लगभग 70 फीसदी) 2009 और 2019 के बीच के हैं। यह अवधि पुरे उपमहाद्वीप में उग्र हिंदुत्व के उदय के साथ मेल खाती है। 1989 से 2019 के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कुल 7 बार अपने फैसले देने में मनुस्मृति का इस्तेमाल किया है।'

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को ही देख लीजिए, जिसने पिछले वर्ष ही अपने पीएचडी कार्यक्रम के तहत 'मनुस्मृति की प्रयोज्यता' का अध्ययन करने के लिए एक शोध परिषद शुरू की। विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र और मौमांसा विभाग, जिसके पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से मनुस्मृति का अध्ययन पहले से ही शामिल है, ने भारतीय समाज में 'मनुस्मृति की प्रयोज्यता' पर शोध करने का प्रस्ताव (2023) रखा है। इसने फेड की प्रतिष्ठित संस्थान योजना के तहत प्राप्त धन का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जो 10 नुनिंदा सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों को 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान करती है।

बीएचयू का प्रस्ताव असंगत प्रतीत हो सकता है -- और सिर्फ इसलिए नहीं कि इममें एक गूढ़ विषय पर धन खर्च करना शामिल है, जबकि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन अक्षयकर छात्रों में भी कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

वास्तव में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मनुस्मृति के प्रति प्रकट आक्षेप, या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा मनुस्मृति को प्रशंसा करना, कानूनी विद्वान मोहन गोपाल द्वारा शोध न्यायपालिका को संरचना के बारे में की गई टिप्पणियों से मेल खाता है। 'द' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण में उन्होंने विस्तार से बताया था कि 'संविधान को तुलना में धर्म में कानून का स्रोत खोजने वाले न्यायाधीशों को संख्य में वृद्धि हुई है।'

'परंपरावादी धर्मोपदेशवादी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है -- जैसा कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में हुआ। यह 2047 तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने को दो भागों में बांटी रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह काम संविधान को उखाड़ फेंकने से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संविधान की व्याख्या एक हिंदू दस्तावेज के रूप में करके किया जाना है। पहले चरण में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जो इससे आगे देखने

के लिए तैयार हों, तथा दूसरा चरण जो अब शुरू होगा, उसमें न्यायाधीश स्रोत को पहचान करेगा और इसकी शुरूआत हिजाब निर्णय से हुई। ...इम धीरे-धीरे उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि भारत उसी संविधान के तहत एक हिंदू धर्मोपदेश है - जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वाक्यता की है। इसलिए यह विचार न्यायपालिका का अपहरण करने और एक हिंदू धर्म तंत्र स्थापित करने का है।'

न्यायपालिका को स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने की इस लड़ाई के परिणाम भारत में लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ता और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष अरुण पटेल इस भाषण के इर्द-गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वे इस बात को उठाते हैं कि कैसे कर्ना कुलीनता उन नियमों का विरोध करता है, जिनपर भारत के संविधान में विश्वास जोर है, जिसमें समानता, धर्मनिरपेक्षता, गरिमा आदि जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है और यह पश्चिमान से अलग है, जहां देनों एक ही दिशा में हैं। दूसरा, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार यहाँ न्यायपालिका में विचित्रता का अभाव है, जिसके कारण इस पर कब्जा करना आसान हो गया है।

तथ्य यह है कि लोगों और इन धटनाक्रमों से संबंधित संस्थाओं को संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को बचाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा।

निष्कर्ष निकालने से पहले, यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र की प्रगति में दिलचस्प समानताएं हैं।

वास्तव में, जब यहाँ धार्मिक न्यायाधीशों के धीमे प्रभुत्व के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, तो कोई यह देख सकता है कि अमेरिकी न्यायपालिका भी इसी तरह के बदलवों का सामना कर रही है। कुछ समय पहले ही लुइसियाना ने पब्लिक स्कूलों में दस अज्ञात प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करने का निर्णय लिया था।

'लुइसियाना द्वारा सार्वजनिक स्कूलों में दस धर्मादेशों को प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करने का निर्णय, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के दक्षिणपंथी बहुमत के विवादास्पद निर्णयों को झुंझला का नवीनतम परिणाम है, जिसने भानुमती का पिढारा खोल दिया है, जो अमेरिका को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में बदलने के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है।'

यह जानकर प्रसन्नता हो सकती है कि 'एसीएलयू (अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन) ने अन्य संगठनों की मदद से इस अपभ्रंश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह 'धार्मिक जबरदस्ती' के अलावा और कुछ नहीं है।

(लेखक सोशल ऐक्टिविस्ट और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## After 6-year wait, 6-year-old undergoes surgery at AIIMS Delhi

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/after-6-year-wait-6-year-old-undergoes-surgery-at-aiims-delhi/articleshow/111374138.cms>

NEW DELHI: After waiting for almost his entire life of 6 years, Aayansh Kumar, a young ailing boy from Bihar, was finally operated upon for his heart disorder at AIIMS on Saturday. The little boy was detected with his cardiac ailment when he was 3 months old in 2018 but was not operated on, despite being given several dates, until TOI highlighted his and his family's plight earlier this month.

According to doctors, there was a hole in the child's heart, and he was also suffering from 'Tetralogy of Fallot', a congenital heart defect. This condition involves four related heart defects that change the way blood flows to the lungs and through the heart.

On June 19, National Human Rights Commission had taken suo motu cognisance of the TOI report on the boy. The surgery was performed by Dr A K Bisoi. On Friday, the boy underwent a CT angiography in the emergency department. This procedure was deemed necessary by the attending physician to obtain a more precise diagnosis, following an initial assessment that required further clarification, said doctors.

The boy's father, Ankit Kumar, a 32-year-old medical store helper, told TOI that his son was taken to the operating theatre at approximately 8.45am, and he was informed about the successful completion of the procedure around 3pm. The child has been shifted to the ICU for monitoring.

"The doctors informed me that the hole in the heart has been closed and the issue related to the veins has also been fixed. There were no complications during the surgery," Kumar stated. He expressed hope that the next 24 hours would be uneventful and that his child's recovery would progress smoothly. Ankit had earlier told TOI, "We brought Aayansh to AIIMS in Nov 2018, when he was just three months old. After seeing the child in OPD, Dr Sachin Talwar, professor of cardiothoracic & vascular surgery, had asked him to deposit Rs 60,000 for the surgery and Rs 8,000 for some tests and had given them an appointment for the operation four months later but despite completing all formalities the surgery was not performed."

With TOI reporting the issue and NHRC taking it up, the hospital administration stated that they promptly reached out to the patient's family upon discovering the postponement of the surgery. However, the family members were unable to arrive at the hospital immediately. They conveyed to the administration that they would be present on June 27. AIIMS had conducted an inquiry to reveal the reasons for this unprecedented delay, but its findings have not been made public yet.

## Delhi News: 6 साल के इंतजार के बाद, 6 साल के बच्चे की दिल्ली एम्स में सर्जरी हुई

<https://jantaserishta.com/delhi-ncr/delhi-news-after-waiting-for-6-years-a-6-year-old-child-underwent-surgery-at-delhi-aiims-3359594>

नई दिल्ली NEW DELHI: दिल्ली लगभग 6 साल की अपनी पूरी जिंदगी के इंतजार के बाद, बिहार के बीमार बच्चे आयुष कुमार का आखिरकार शनिवार को एम्स में हृदय रोग का ऑपरेशन किया गया। 2018 में जब वह 3 महीने का था, तब उसे हृदय रोग का पता चला था, लेकिन कई तारीखें दिए जाने के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, जब तक कि इस महीने की शुरुआत में TOI ने उसके और उसके परिवार की दुर्दशा को उजागर नहीं किया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के दिल में छेद था, और वह जन्मजात हृदय दोष 'टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट' से भी पीड़ित था। इस स्थिति में चार संबंधित हृदय दोष शामिल हैं जो फेफड़ों और हृदय के माध्यम से रक्त के प्रवाह के तरीके को बदल देते हैं। 19 जून को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लड़के पर TOI की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। सर्जरी डॉ ए के बिसोई ने की थी।

शुक्रवार को, लड़के की आपातकालीन विभाग में सीटी एंजियोग्राफी की गई। डॉक्टरों ने कहा कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद अधिक सटीक निदान प्राप्त करने के लिए उपस्थित चिकित्सक द्वारा इस प्रक्रिया को आवश्यक माना गया था, जिसके लिए आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। लड़के के पिता अंकित कुमार, जो 32 वर्षीय मेडिकल स्टोर हेल्पर हैं, ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनके बेटे को लगभग 8.45 बजे ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया और उन्हें लगभग 3 बजे ऑपरेशन के सफल होने की जानकारी दी गई। बच्चे को निगरानी के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। कुमार ने कहा, "डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दिल में छेद बंद कर दिया गया है और नसों से जुड़ी समस्या भी ठीक हो गई है। सर्जरी के दौरान कोई जटिलता नहीं आई।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 24 घंटे बिना किसी परेशानी के गुजरेंगे और उनके बच्चे की रिकवरी सुचारू रूप से होगी। अंकित ने पहले TOI को बताया था, "हम नवंबर 2018 में आयुष को एम्स लेकर आए थे, जब वह सिर्फ तीन महीने का था। ओपीडी में बच्चे को देखने के बाद, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी के प्रोफेसर डॉ. सचिन तलवार ने उनसे सर्जरी के लिए 60,000 रुपये और कुछ परीक्षणों के लिए 8,000 रुपये जमा करने को कहा था और उन्हें चार महीने बाद ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद सर्जरी नहीं की गई।" TOI द्वारा इस मुद्दे की रिपोर्ट करने और NHRC द्वारा इसे उठाए जाने के बाद, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सर्जरी के स्थगन का पता चलने पर उन्होंने तुरंत मरीज के परिवार से संपर्क किया। हालांकि, परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल नहीं पहुंच पाए। उन्होंने प्रशासन को बताया कि वे 27 जून को उपस्थित होंगे। एम्स ने इस अभूतपूर्व देरी के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच की थी, लेकिन इसके निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

## Female worker assaulted, alleges BJP; NCW team reaches West Bengal

<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/female-worker-assaulted-alleges-bjp-ncw-team-reaches-west-bengal/articleshow/111386787.cms?from=mdr>

Kolkata: A team from the National Commission for Women (NCW) reached Coochbehar's Mathabhanga on Sunday to investigate reports that a woman belonging to a minority community was allegedly assaulted and stripped, for her allegiance to the BJP. The statement of the woman, who was "assaulted" earlier this week, was recorded by police on Sunday. "There is a political issue and also a human issue. We will look into the woman's issue and take action so that she gets justice," NCW member said.

The NCW team said it met the family members of the victim and will soon meet the victim. In its X handle, NCW wrote wrote: "Strongly condemned the incident and has directed the police to invoke relevant provisions of the Indian Penal Code in the FIR. The accused must be arrested promptly, and the victim provided free medical treatment. A fair, time-bound investigation is required, with a detailed action taken report to be submitted to the Commission within 3 days."

Earlier, BJP leader Suwendu Adhikari had written to the NCW, **National Human Rights Commission** and National Minority Commission in this regard. The BJP legislators of Bengal have planned a protest on Monday on the issue outside the state Assembly.

## **Geneva: NHRC chairperson, Secy-General participate in global human rights events**

<https://www.bignewsnetwork.com/news/274438929/geneva-nhrc-chairperson-secy-general-participate-in-global-human-rights-events>

New Delhi [India], June 30 (ANI): The National Human Rights Committee Chairperson, Arun Mishra and, and Secretary General, Bharat Lal, participated in various international meetings of the Asia Pacific Forum (APF) and the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) in Geneva from May 5-9, a monthly newsletter by the NHRC stated.

NHRC has been actively forging partnerships and collaborations aimed at enhancing human rights and quality of life, while fortifying the National Human Rights Institutions (NHRIs).

On May 5, Justice Mishra and Barat Lal participated in the Governance Committee meeting of the Asia Pacific Forum (APF) of NHRIs, which reviewed its Mid-term Report, Annual Operational Plan and Budget (2024-25), and APF policies.

Subsequently, on May 6, they joined the Regional Meeting of the APF, to build strategies to bolster NHRIs in the region to uphold and safeguard human rights in their respective nations.

Bharat Lal, in his capacity as Chairperson of the Finance Committee of the GANHRI, presented the financial report during the General Assembly in Geneva on May 7, 2024. The Assembly adopted the financial and audit report, approved the budget for 2024, and outlined strategies for fundraising.

Notably, alongside the NHRC, the Finance Committee also includes representatives from NHRIs of the UK, Malawi, and El Salvador, the newsletter stated.

On May 8, Justice Mishra and Bharat Lal participated in the GANHRI 2024 Annual Conference at Palais des Nations, Geneva, on 'Business and Human Rights: The Role and Experiences of NHRIs'.

Addressing a session on 'Business and Human Rights Regulations - Towards a Smart Mix', Justice Mishra highlighted India's endeavours to harmonise business activities with human rights principles.



He stressed the necessity of a balanced approach, encompassing both voluntary and mandatory measures at national and international levels, to address the impacts of business activities on human rights. Furthermore, Justice Mishra underscored NHRC, India's initiatives, including the formation of a core group on business and human rights and the issuance of various advisories, on different segments of society and vocations, aimed at achieving a harmonious balance between development imperatives and human rights for sustainable development.

On the sidelines of the GANHRI 2024 Annual Meeting, NHRC Secretary General, Bharat Lal also took part in the NHRI Knowledge Exchange of Good Practices on the theme, 'Forced Displacement and Statelessness: Knowledge Exchange on the roles and experiences of NHRIs and opportunities under the Global Refugee Forum'.

At this session, Lal highlighted India's age-old practice of welcoming the stateless and those who have been forcefully displaced. From Syrian Christians and Jews, to Polish children who were given refuge during World War II, India has been a haven for the refugees since the pre-Independence era.

Lal also drew attention to the large number of citizens from Tibet, East Pakistan (now Bangladesh), Afghanistan, Sri Lanka, and Myanmar who sought refuge in India after Independence.

At the GANHRI Annual Conference, more than 80 NHRIs endorsed the 'Outcome Statement on Business and Human Rights', reaffirming their commitment to leveraging their mandates for human rights promotion, monitoring, and complaint handling, particularly in the realms of environment and climate change, online civic space and digital technologies, and a 'smart mix' of policy and regulatory measures.

The Outcome Statement also called for collaboration among NHRIs and UN partners to support the implementation of human rights principles in business practices. Additionally, Justice Mishra and Shri Lal also attended the annual meeting of the Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions (CFNHRI) in Geneva, where NHRIs from Commonwealth countries convened to review CFNHRI's work and strategize for the future, the newsletter added. (ANI)



NATIONAL HUMAN  
RIGHTS COMMISSION

## **UPSC Key | Semiconductor, Hooch tragedy, NHRC and more**

<https://indianexpress.com/article/upsc-current-affairs/upsc-key-semiconductor-hooch-tragedy-nhrc-and-more-9424159/lite/>

Exclusive for Subscribers Daily: How are the semiconductor and NHRC relevant to the UPSC Exam? What significance do topics like Hooch tragedy and Southwest Monsoon have for the preliminary and main exams? You can learn more by reading the Indian Express UPSC Key for June 30, 2024.

## West Bengal: पश्चिम बंगाल में सरैराह सड़क पर की गई महिला की पिटाई, बीजेपी बोली, 'ममता के राज में चल रहा शरिया कानून..'

<https://hindi.newsroompost.com/india/a-woman-was-beaten-up-in-broad-daylight-in-west-bengal-bjp-said-sharia-law-is-being-followed-in-mamatas-rule/993743.html>

West Bengal: मालवीय ने जोर देकर कहा, “भारत को टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, या फिर शेख शाहजहां की तरह उसका बचाव करेंगी?”

नई दिल्ली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बाद, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार सवाल उठा रही है। विवाद को और बढ़ाते हुए, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पर एक परेशान करने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला और एक पुरुष को डंडे से बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। मालवीय का दावा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के लक्ष्मीकांतपुर का है।

### महिला की बेरहमी से पिटाई

मालवीय ने आरोप लगाया, “वीडियो में एक महिला को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे लड़के का नाम तजेमुल है, जिसे इलाके में जेसीबी के नाम से भी जाना जाता है। वह अपनी तथाकथित ‘इंसाफ सभाओं’ के माध्यम से तुरंत न्याय दिलाने के लिए कुख्यात है।” उन्होंने आगे दावा किया कि तजेमुल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी सहयोगी है।

### टीएमसी शासित बंगाल में शरिया कानून लागू

मालवीय ने जोर देकर कहा, “भारत को टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, या फिर शेख शाहजहां की तरह उसका बचाव करेंगी?”

### भाजपा ने टीएमसी पर बंगाल में हिंसा बढ़ाने का आरोप लगाया

गुरुवार, 27 जून, 2024 को अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम ममता बनर्जी के प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कूचबिहार जिले में एक महिला भाजपा कार्यकर्ता को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इसके बाद, भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार, 28 जून को टीएमसी समर्थकों पर कूचबिहार जिले में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की एक महिला नेता पर हमला करने का आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 25 जून को हुई घटना के बारे में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सूचित कर दिया है और जांच का अनुरोध किया है। बढ़ते आरोपों और घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

## World News | Geneva: NHRC Chairperson, Secy-General Participate in Global Human Rights Events

<https://www.latestly.com/agency-news/world-news-geneva-nhrc-chairperson-secy-general-participate-in-global-human-rights-events-6076274.html>

Get latest articles and stories on World at LatestLY. NHRC has been actively forging partnerships and collaborations aimed at enhancing human rights and quality of life, while fortifying the National Human Rights Institutions (NHRIs).

New Delhi [India], June 30 (ANI): The National Human Rights Committee Chairperson, Arun Mishra and, and Secretary General, Bharat Lal, participated in various international meetings of the Asia Pacific Forum (APF) and the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) in Geneva from May 5-9, a monthly newsletter by the NHRC stated.NHRC has been actively forging partnerships and collaborations aimed at enhancing human rights and quality of life, while fortifying the National Human Rights Institutions (NHRIs).

On May 5, Justice Mishra and Barat Lal participated in the Governance Committee meeting of the Asia Pacific Forum (APF) of NHRIs, which reviewed its Mid-term Report, Annual Operational Plan and Budget (2024-25), and APF policies.Subsequently, on May 6, they joined the Regional Meeting of the APF, to build strategies to bolster NHRIs in the region to uphold and safeguard human rights in their respective nations.

Bharat Lal, in his capacity as Chairperson of the Finance Committee of the GANHRI, presented the financial report during the General Assembly in Geneva on May 7, 2024. The Assembly adopted the financial and audit report, approved the budget for 2024, and outlined strategies for fundraising.Notably, alongside the NHRC, the Finance Committee also includes representatives from NHRIs of the UK, Malawi, and El Salvador, the newsletter stated.On May 8, Justice Mishra and Bharat Lal participated in the GANHRI 2024 Annual Conference at Palais des Nations, Geneva, on 'Business and Human Rights: The Role and Experiences of NHRIs'.Addressing a session on 'Business and Human Rights Regulations - Towards a Smart Mix', Justice Mishra highlighted India's endeavours to harmonise business activities with human rights principles.He stressed the necessity of a balanced approach, encompassing both voluntary and mandatory measures at national and international levels, to address the impacts of business activities on human rights. Furthermore, Justice Mishra underscored **NHRC**, India's initiatives, including the formation of a core group on business and human rights and the issuance of various advisories, on different segments of society and vocations, aimed at achieving a harmonious balance between development imperatives and human rights for sustainable development.On the sidelines of the GANHRI 2024 Annual Meeting, NHRC Secretary General, Bharat Lal also took part in the NHRI Knowledge Exchange of Good Practices on the theme, 'Forced Displacement and Statelessness: Knowledge Exchange on the roles and experiences of NHRIs and opportunities under the Global Refugee Forum'.At this session, Lal highlighted India's age-old practice of welcoming

the stateless and those who have been forcefully displaced. From Syrian Christians and Jews, to Polish children who were given refuge during World War II, India has been a haven for the refugees since the pre-Independence era.

Lal also drew attention to the large number of citizens from Tibet, East Pakistan (now Bangladesh), Afghanistan, Sri Lanka, and Myanmar who sought refuge in India after Independence. At the GANHRI Annual Conference, more than 80 NHRIs endorsed the 'Outcome Statement on Business and Human Rights', reaffirming their commitment to leveraging their mandates for human rights promotion, monitoring, and complaint handling, particularly in the realms of environment and climate change, online civic space and digital technologies, and a 'smart mix' of policy and regulatory measures. The Outcome Statement also called for collaboration among NHRIs and UN partners to support the implementation of human rights principles in business practices. Additionally, Justice Mishra and Shri Lal also attended the annual meeting of the Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions (CFNHRI) in Geneva, where NHRIs from Commonwealth countries convened to review CFNHRI's work and strategize for the future, the newsletter added. (ANI)

## डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: क्या राहुल ने राहुल को पीछे छोड़ दिया ?

<https://www.lokmatnews.in/blog/india/transformation-in-rahul-gandhi-after-2024-lok-sabha-polls-b628/>

आलिया भट्ट और राहुल गांधी को मजाक का पात्र बना देने के लिए सोशल मीडिया पर जितना लंबा अभियान चला, उतना शायद ही किसी और के लिए चला होगा। यह सब किसने किया और क्यों किया, इसके बारे में चर्चाएं तो बहुत होती हैं लेकिन पुख्ता तौर पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आलिया ने अपने बेहतरीन अभिनय से वर्षों पहले उस भ्रम को तोड़ दिया और अब राहुल गांधी को ऐसा मौका मिला है लेकिन उनके लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। बड़े तरीके से राहुल गांधी की यह छवि बना दी गई कि वे जिम्मेदारियों से भागने वाले व्यक्ति हैं। उनकी कार्यप्रणाली में निरंतरता की कमी की भी बातें की जाती रही हैं। उन्होंने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ा और संसद में पहुंचे। उसके बाद 10 साल तक उनकी सरकार रही लेकिन उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया। कई मौकों पर अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करने से भी नहीं हिचके।

अंततः 2017 में वे पार्टी के अध्यक्ष बने लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी पराजय के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि किसी नए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। जहां तक संसद में पद लेने का सवाल है तो 2014 के बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं था। नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी पार्टी के पास संसद का कम से कम 10 प्रतिशत सीट शेयर यानी 54 सीटें होना अनिवार्य है। 2014 में कांग्रेस को केवल 44 और 2019 में केवल 52 सीटें मिली थीं। नेता प्रतिपक्ष की पात्रता ही नहीं थी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं तो लोगों के मन में एक ही सवाल था कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करेंगे या पद से दूरी बनाए रखेंगे? राहुल ने न केवल पद स्वीकार किया बल्कि उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बात कही उससे उनकी नई छवि का एहसास होता है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

संसद चलाने में विपक्ष मदद करेगा लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि संसद कितनी शांति से चल रही है बल्कि सवाल यह है कि आम आदमी की आवाज उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है। विपक्ष की आवाज दबाकर संसद शांति से चला सकते हैं लेकिन यह नजरिया अलोकतांत्रिक होगा। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। राहुल के इस स्पष्टवादी तेवर ने संकेत दे दिया है कि भविष्य के लिए उनका रुख क्या होगा। महत्वपूर्ण यह है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां टेबल के आरपार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने-सामने होंगे। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक मिलता है। वह पूरे विपक्ष का नेतृत्व तो करता ही है, वह पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी जैसी महत्वपूर्ण समितियों का हिस्सा भी होता है।

नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, चुनाव आयुक्तों और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के अध्यक्ष जैसे पदों की नियुक्तियां ये चयन समितियां ही करती हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक-दूसरे पर तीखे शब्द बाण चलाते रहे हैं, लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टेबल पर दोनों जब एक साथ बैठेंगे तो एक-दूसरे के प्रति उनका रुख किस तरह का रहेगा? हालांकि अध्यक्ष ओम बिड़ला को जिस तरह से मिलकर वे आसंदी तक ले गए उससे एक उम्मीद जगी लेकिन इमरजेंसी के जिक्र ने रिश्तों में खटास

डाल दी है। इमरजेंसी के लिए जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दे दी थी और फिर सत्ता में वापस भी ले आई थी। यह विवाद रिश्तों में आग लगाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को शासकीय प्रबंधन का लंबा अनुभव है और वे कूटनीति में भी माहिर व्यक्ति हैं। ऐसे में राहुल गांधी के समक्ष ज्यादा बड़ी चुनौती रहेगी। यदि वे इसमें सफल होते हैं तो निश्चय ही एक परिपक्व नेता के रूप में उनकी नई पहचान कायम होगी और जो लोग उनकी छवि को तबाह करने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं, उन्हें करारा जवाब भी मिलेगा। मैंने यह महसूस किया है कि राहुल गांधी बहुत समझदार नेता हैं। देश की नब्ज को समझने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की है, जिस तरह से गांधीजी और विनोबाजी ने की थी। वे विशेषज्ञों से चीजें समझते हैं। फालतू बातों में उनकी कोई रुचि नहीं रहती और झूठ का वे सहारा नहीं लेते। हां, उनके किचन कैबिनेट को लेकर जानकार सवाल खड़े करते रहे हैं लेकिन वक्त के साथ वे चीजों को जरूर सुधारेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 'भारत जोड़ो यात्रा' से उनका व्यक्तित्व बदला है। यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि 'मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है. अब मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ।' ...देखना है, क्या सचमुच राहुल गांधी ने राहुल को पीछे छोड़ दिया है?

## तारीख पे तारीख... छह साल बाद टूटी एम्स की नींद, NHRC के नोटिस के बाद हुई 6 साल के बच्चे की सर्जरी

<https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/delhi-aiims-done-six-year-child-surgery-after-nhrc-notice/articleshow/111381247.cms>

बिहार के बेगूसराय के रहने वाले अंकित कुमार अपने बच्चे की सर्जरी के लिए एम्स के चक्कर काट-काटकर परेशान हो गए थे लेकिन उन्हें वहां सिर्फ तारीख मिल रही थी। हालांकि हाल ही में जब इस बारे में उन्होंने मीडिया को बताया तो NHRC ने संज्ञान लेते हुए एम्स को नोटिस भेज दिया। जिसके बाद बीते शनिवार उनके बच्चे की सर्जरी की गई...

**नई दिल्ली:** तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख... भले ही ये डॉयलाग फिल्मी है लेकिन पिछले 6 सालों से बिहार के बेगूसराय के एक परिवार को अपने बच्चे की सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स से सिर्फ तारीख ही मिल रही थी। हाल ही में जब ये मुद्दा मीडिया में आया तब जाकर एम्स की नींद खुली और शनिवार को एम्स के सीटीवीएस (कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी) के डॉक्टरों ने करीब छह साल के बच्चे की सर्जरी की।

### क्या है पूरा मामला

बच्चे के पिता अंकित कुमार का कहना है कि उनके बच्चे को जन्मजात ही दिल की बीमारी थी। दरअसल उसके दिल में छेद था और नसें भी सही जगह पर नहीं जुड़ी हुई थी। जिसकी वजह से पूरे शरीर में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब उनका बच्चा तीन महीने का हुआ उस वक्त उन्हें अपने बच्चे की इस बीमारी के बारे में पता चला। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए एम्स में दिखाया। जहां पर उन्हें साल 2019 में 60 हजार रुपये और तीन यूनिट खून जमा करने के लिए कहा गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए जैसे- तैसे परिवार ने पैसा और खून का इंतजाम किया लेकिन उसके बाद से साल 2024 आ गया लेकिन एम्स की तरफ से सिर्फ उन्हें तारीख पे तारीख ही मिलती रही।

### NHRC के नोटिस के बाद हुई सर्जरी

हाल ही में जब ये मामला मीडिया में आया तो एनएचआरसी ने इस पर संज्ञान लेते हुए 19 जून को एम्स के निदेशक व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक माह में रिपोर्ट मांगी। NHRC के नोटिस के बाद एम्स की नींद टूटी और अस्पताल ने बच्चे को सर्जरी के लिए भर्ती कर लिया। उसके बाद सीटीवीएस के प्रोफेसर डॉ. सचिन तलवार की टीम ने बच्चे के दिल की सर्जरी की।

### बीमारी की वजह से ज्यादा चल नहीं पा रहा था बच्चा

दरअसल बच्चे के शरीर में खून का संचार ठीक से नहीं होने पर बच्चा काफी कमजोर हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि बच्चा पैदल ज्यादा चल नहीं पा रहा था। अब सर्जरी के बाद बच्चे के मां बाप का कहना है कि अब उनका बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद पाएगा। बता दें कि शनिवार को डॉक्टर सुबह 11 बजे उसे ऑपरेशन थियेटर में लेकर गए थे। दोपहर साढ़े तीन बजे डाक्टर ने बताया कि बच्चे की सर्जरी सफल रही। अभी बच्चे को 24 से 48 घंटे के लिए ICU में रखा गया है। कुछ वक्त बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा।



## तारीख पे तारीख... छह साल बाद टूटी एम्स की नींद, NHRC के नोटिस के बाद हुई 6 साल के बच्चे की सर्जरी

<https://aimamedia.org/newsdetails.aspx?type=Share&nid=276969>

तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख... भले ही ये डॉयलाग फिल्मी है लेकिन पिछले 6 सालों से बिहार के बेगूसराय के एक परिवार को अपने बच्चे की सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स से सिर्फ तारीख ही मिल रही थी। हाल ही में जब ये मुद्दा मीडिया में आया तब जाकर एम्स की नींद खुली और शनिवार को एम्स के सीटीवीएस (कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी) के डॉक्टरों ने करीब छह साल के बच्चे की सर्जरी की।

बच्चे के पिता अंकित कुमार का कहना है कि उनके बच्चे को जन्मजात ही दिल की बीमारी थी। दरअसल उसके दिल में छेद था और नसें भी सही जगह पर नहीं जुड़ी हुई थी। जिसकी वजह से पूरे शरीर में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब उनका बच्चा तीन महीने का हुआ उस वक्त उन्हें अपने बच्चे की इस बीमारी के बारे में पता चला। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए एम्स में दिखाया। जहां पर उन्हें साल 2019 में 60 हजार रुपये और तीन यूनिट खून जमा करने के लिए कहा गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए जैसे- तैसे परिवार ने पैसा और खून का इंतजाम किया लेकिन उसके बाद से साल 2024 आ गया लेकिन एम्स की तरफ से सिर्फ उन्हें तारीख पे तारीख ही मिलती रही।

### NHRC के नोटिस के बाद हुई सर्जरी:

हाल ही में जब ये मामला मीडिया में आया तो एनएचआरसी ने इस पर संज्ञान लेते हुए 19 जून को एम्स के निदेशक व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक माह में रिपोर्ट मांगी। NHRC के नोटिस के बाद एम्स की नींद टूटी और अस्पताल ने बच्चे को सर्जरी के लिए भर्ती कर लिया। उसके बाद सीटीवीएस के प्रोफेसर डॉ. सचिन तलवार की टीम ने बच्चे के दिल की सर्जरी की।

### बीमारी की वजह से ज्यादा चल नहीं पा रहा था बच्चा:

दरअसल बच्चे के शरीर में खून का संचार ठीक से नहीं होने पर बच्चा काफी कमजोर हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि बच्चा पैदल ज्यादा चल नहीं पा रहा था। अब सर्जरी के बाद बच्चे के मां बाप का कहना है कि अब उनका बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद पाएगा। बता दें कि शनिवार को डॉक्टर सुबह 11 बजे उसे ऑपरेशन थियेटर में लेकर गए थे। दोपहर साढ़े तीन बजे डाक्टर ने बताया कि बच्चे की सर्जरी सफल रही। अभी बच्चे को 24 से 48 घंटे के लिए ICU में रखा गया है। कुछ वक्त बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

## **‘ममता राज’ में महिला को तालिबानी सजा: बीच सड़क पर महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, लोग देखते रहे तमाशा- West Bengal Viral Video**

[https://lalluram.com/video-of-woman-brutally-beaten-in-the-middle-of-the-road-in-west-bengal-goes-viral/#goog\\_rewarded](https://lalluram.com/video-of-woman-brutally-beaten-in-the-middle-of-the-road-in-west-bengal-goes-viral/#goog_rewarded)

West Bengal Viral Video: पश्चिम बंगाल में बीच सड़क महिला की तालिबानी तरीके (Talibani punishment) से बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। BJP आईटी सेल हेड अमित मालवीय (Amit Malviya) ने वीडियो को अपने एक्स एकाउंट पर भी शेयर किया है। वीडियो में एक शख्स डंडे से महिला और पुरुष की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा है। वहीं मौजूद लोगों की भीड़ बस तमाशा देख रही है। कोई भी शख्स उन दोनों को बचाने के लिए सामने नहीं आया। मालवीय ने दावा किया है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के लक्ष्मीकांतपुर का है।

बीजेपी आईटी सेल के हेड ने आरोप लगाते हुए कहा कि वीडियो में जो लड़का एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है, उसका नाम तजेमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वह अपनी इंसफ सभा के जरीए तुरंत जस्टिस देने के लिए इलाके में प्रसिद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि तजमेल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है।

### **TMC के राज में शरिया अदालत**

अमित मालवीय आरोप लगाया कि भारत को टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून-व्यवस्था का नामोनिशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या उसका बचाव करेंगी जैसे वह शेख शाहजहां के लिए खड़ी हुई थीं?”

### **बीजेपी ने बंगाल में हिंसा बढ़ने का लगाया आरोप**

बता दें कि इससे पहले 27 जून को अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कूचबिहार जिले में बीजेपी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (28 जून) को आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की एक महिला नेता के साथ मारपीट की।

### **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र**

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को पत्र लिखकर 25 जून को हुई घटना की जानकारी दी और उनसे इसकी जांच कराने का अनुरोध किया।

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि का जेल दौरा, कैदी महिलाओं के लिए कही ये अहम बात

<https://m.punjab.punjabkesari.in/punjab/news/representative-of-national-human-rights-commission-visits-jail-1999888>

**लुधियाना (स्याल):** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि महेश सिंगला ने ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल महिला जेल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जिनका जेल सुपरीटेंडेंट विजय मल्होत्रा ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। प्रतिनिधि महेश सिंगला ने बताया कि उनका दौरा जेल में बंद कैदियों/हवालातियों प्रवासी महिलाओं के मानवाधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए है। महेश सिंगला ने जेल में बंद कैदियों/हवालातियों व निर्वासित महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी।

बंदियों को संबोधित करते हुए महेश सिंगला ने जेल प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जेल में रहने वाली कैदियों/हवालातियों महिलाओं के उत्साह से पता चलता है। कि जेल प्रशासन उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है और महिला कैदियों/हवालातियों के लिए समय-समय पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि महिला कैदी जेल से रिहा होने के बाद कड़ी मेहनत कर सकें व अपना जीवन अच्छे से जी सकें। सिंगला ने ऐसे पाठ्यक्रम जोड़ने को कहा जिनकी प्रशिक्षण अवधि कम हो, ताकि इसका लाभ जेल में प्रत्येक महिला कैदी/हवालाती को मिल सके।

### महिला कैदियों से 'जय हिंद' के नारे से जुड़ने की अपील की

गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि महेश सिंगला ने तमिलनाडु में आईपीएस अधिकारी के रूप में काम किया है। और उन्हें देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। जिसके तहत सेंट्रल महिला जेल, लुधियाना के दौरे के दौरान इस अभियान को भी शुरू किया गया जिसमें जेल स्टाफ समेत महिला कैदियों/हवालातियों से इसमें शामिल होने की अपील की। इसके बाद जेल प्रशासन और कैदियों ने जय हिंद के नारे लगाकर जय हिंद आंदोलन में शामिल होने का समर्थन किया।